<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 02.08.2026</u>

<u>रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में वामा सारथी द्वारा "वामा वेलनेस कैम्प" का आयोजन, पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को मिली निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं–</u>

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा ''श्री विनीत जायसवाल'' के निर्देशन में पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आज दिनांक 02.08.2026 को ''वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन'' के तत्वावधान में ''अपोलोमेडिक्स हॉस्पिटल, टाटा 1एमजी, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश एवं स्थानीय चिकित्सा संस्थानों'' के सहयोग से रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा परिसर में प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक "वामा वेलनेस कैम्प" का सफल आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक जांच सुविधाएं एक ही स्थान पर सुलभ एवं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना था, ताकि अपने व्यस्त एवं चुनौतीपूर्ण कार्यदायित्वों के बीच भी वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकें। कैम्प में ''मेडिकल ऑफिसर डॉ० जितेन्द्र कुमार यादव, डॉ० तनु श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट डॉ० नन्कू सिंह'' सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित पैरामेडिकल टीम द्वारा प्रतिभागियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डायटीशियन द्वारा संतुलित आहार, वजन नियंत्रण, ड्यूटी के दौरान उचित खान–पान एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा लंबे समय तक ड्यूटी के कारण होने वाली कमर, गर्दन एवं मांसपेशियों की समस्याओं से बचाव हेतु आवश्यक व्यायाम एवं सावधानियों की जानकारी प्रदान की गई। ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा नेत्र परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया तथा नर्सिंग स्टाफ द्वारा सभी जांच प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया गया। शिविर में रक्तचाप एवं ब्लड शुगर की जांच के साथ–साथ विभिन्न पैथोलॉजी जांचें, जैसे ''शुगर प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन एवं थायरॉइड प्रोफाइल'' निर्धारित रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गईं, जिससे अधिक से अधिक पुलिस कर्मी एवं उनके परिवारजन लाभान्वित हुए। वेलनेस कैम्प में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी एवं जनकल्याणकारी बताया। इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर पुलिस परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनपदीय पुलिस द्वारा भविष्य में भी पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य, कल्याण एवं जागरूकता के लिए इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर एवं परामर्श कार्यक्रम निरंतर आयोजित कराए जाने के प्रयास किए जाते रहेंगे।

<u>इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 02.08.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 720/2026 धारा 191(2),191(3),61(2),109(1),115(2),118(1), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त– सत्यम कुमार मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर मिश्रा, निवासी पूरे पाण्डेय सेमरी कला थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा, हाल पता रद्युकुल नगर, सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को आसरा कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी मारूति नंदन तिवारी पुत्र रूप किशोर तिवारी निवासी मानस विहार–2, गायत्रीपुरम कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण रमाकान्त मिश्र, सत्यम मिश्रा, रौनक मिश्र आदि द्वारा पूर्व विवाद के कारण दिनांक 31.07.2026 की रात्रि करीब 08.00 बजे अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ लाठी–डण्डा व धारदार हथियारों से लैस होकर उसके घर पर आकर गाली–गलौज करते हुए मारपीट की गयी। हमले में वादी व उसके भाई को चोटें आयीं। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 02.08.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त सत्यम कुमार मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर मिश्रा, निवासी पूरे पाण्डेय सेमरी कला थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा, हाल पता रद्युकुल नगर, सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को आसरा कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सत्यम कुमार मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर मिश्रा, निवासी पूरे पाण्डेय सेमरी कला थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा, हाल पता रद्युकुल नगर, सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–720/2026 धारा 191(2),191(3),61(2),109(1),115(2),118(1),352,351(3) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 नितीन उपाध्याय, चौकी प्रभारी सिविल लाइन।
02. का0 देव कुमार।
03. का0 विनय।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 02.08.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बीमा निवेश के नाम पर ग्राहको से धोखाधड़ी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 722/2026 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त– अलंकार वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम पवेरवा, पोस्ट कौड़िया, जनपद गोण्डा, हाल पता साहबगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, को लोहिया धर्मशाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 01.08.2026 को पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अभिषेक कुमार दूबे द्वारा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा पर लिखित तहरीर दी गयी कि कम्पनी को पंजाब नेशनल बैंक, अयोध्या सर्किल कार्यालय से दिनांक 03.07.2026 को दो शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कम्पनी में कार्यरत रिलेशन मैनेजर शाखा बड़गांव, गोण्डा श्री अलंकार वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम पवेरवा, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा द्वारा ग्राहकों से बीमा/निवेश के नाम पर धनराशि प्राप्त कर अनियमितता की गई। प्रथम शिकायतकर्ता श्रीमती बेबी गुप्ता से ₹8.50 लाख तथा द्वितीय शिकायतकर्ता श्री जोखू से ₹3.50 लाख कुल ₹12 लाख रुपये प्राप्त करने एवं कूटरचित फर्जी पॉलिसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 02.08.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त अलंकार वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम पवेरवा, पोस्ट कौड़िया, जनपद गोण्डा, हाल पता साहबगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, को लोहिया धर्मशाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अलंकार वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम पवेरवा, पोस्ट कौड़िया, जनपद गोण्डा, हाल पता साहबगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–722/2026 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अजय सिंह, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
02. उ0नि0 सुनील कुमार।
03. कां0 प्रभाकर यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा